STC/CO/PER/IR/02076(Vol-V)/2017

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

March 15th, 2018

Circular No: IR/04/2018

Subject: Review of STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme - 1981

The STC (Retired Employees') Medical Benefit Scheme was introduced in the year, 1981 with the approval of the Board of Directors. However, no separate Trust/separate Corpus was created to fund the scheme. The Scheme was and is purely a Welfare Scheme exclusively funded and maintained by the internal resources of the Corporation. The members have been admitted to this Scheme upon payment of meager annual contribution/one time contribution (Slab-wise). The operation of the Scheme is based on the financial position of the Corporation and its affordability to pay.

2. Keeping in view the precarious financial position of the Corporation and its affordability to pay, the Board of Directors in its 614th meeting held on 13.09.2017 reviewed the STC (Retired Employees') Medical Benefit Scheme, 1981 and with a view to reduce outgo decided to operate uniform scheme for all retired employees. Accordingly, vide Personnel Division's circular No.IR/21/2017 dated 30.10.2017, the amended scheme was notified effective from 01.11.2017.

3. Subsequently, based on the further issue of affordability and precarious financial position of STC, the Board of Directors of STC in its 619th Meeting held on 05.03.2018 again reviewed the STC (Retired Employees') Medical Benefit Scheme, 1981 (as amended from time to time) and considering the fact that Corporation's account has been classified as NPA by the Banks decided to suspend the Scheme with immediate effect in respect of all Retired employees including VRS optees and ex-employees who have been imposed penalty of Compulsory Retirement under the STC (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975.

4. All Retired employees including VRS optees and ex-employees who have been imposed penalty of Compulsory Retirement under the STC (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975, are, therefore, informed that no authorization letter will be issued to any hospital authorities for hospitalization of any ex-employee/spouse with immediate effect.

5. In respect of ex-employees/spouse admitted prior to issuance of this Circular and are still under admission, no further extension letter for indoor treatment will be issued by STC. Any indoor treatment taken after the expiry of the authority letter issued by STC shall be borne by ex-employees/spouse themselves.

6. Further, no claim of any ex-employee/spouse towards hospitalization in non-empanelled hospitals including Government Hospitals will be entertained with immediate effect. The claim of ex-employees/spouse prior to issue of this Circular will, however, be processed as per policy.

7. Further, no yearly OPD reimbursement claim of ex-employees/spouse will be entertained with immediate effect.

8. The Scheme will be reviewed in the month of April, 2019.

9. This issues with the approval of the Competent Authority.

(T. Kerketta)
General Manager (Personnel)

Distribution:

- All CGMs/GMs
- All Branch Managers
- All Divisional Heads, CO

} e-mail

- JGM(F) (A&E) – Hard Copy
- Medical Section – Hard Copy
- Notice Board – Hard Copy
- STC's Website

Copy to:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secy. to Director(Personnel)
- Exe. Secy. to Director(Finance)
- Exe. Secy. to Director(Marketing)
- Exe. Secy .to CVO

Copy also to: STC Ex-employees Welfare Association, GD-107, Pitampura, Delhi -110034.

एसटीसी/मुख्या./का./औ.सं./02076(खंड-V)/2017

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली
(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

15 मार्च, 2018

परिपत्र संख्या: औ.सं./04/2018

विषय: एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना-1981 की समीक्षा

निदेशक मंडल के अनुमोदन से एसटीसी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा लाभ योजना वर्ष 1981 में आरंभ की गई थी। तथापि, इस योजना के लिए वित्त पोषण के लिए अलग से कोई न्यास/समग्र निधि की व्यवस्था नहीं की गई थी। पूरी तरह से कार्पोरेशन के आंतरिक स्रोतों से वित्त पोषित एवं प्रचालित यह योजना पूर्णता एक कल्याण योजना थी एवं है। इस योजना में सदस्यों को मामूली वार्षिक अंशदान/एकमुश्त अंशदान (स्लैबवार) के भुगतान पर शामिल किया गया है। इस योजना का संचालन कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति और इसकी भुगतान करने की क्षमता पर आधारित है।

2. कार्पोरेशन की नाजुक वित्तीय स्थिति और भुगतान करने की क्षमता के मद्देनजर, निदेशक मंडल ने 13.09.2017 को हुई अपनी 614वीं बैठक में एसटीसी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा लाभ योजना-1981 की समीक्षा की तथा व्यय को कम करने की दृष्टि से सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक ही योजना चलाने का निर्णय लिया। तदनुसार, कार्मिक प्रभाग के परिपत्र संख्या औ.सं./21/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार संशोधित योजना 01.11.2017 से अधिसूचित की गई थी।

3. बाद में, एसटीसी की नाजुक वित्तीय स्थिति और आगे इसकी क्षमता के मुद्दे पर, निदेशक मंडल ने 05.03.2018 को हुई अपनी 619वीं बैठक में एसटीसी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा लाभ योजना-1981 की पुन: समीक्षा की और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कार्पोरेशन के लेखे बैंकों द्वारा एनपीए के रूप में वगीकृत किए गए हैं इस योजना को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों, वीआरएस लेने वालों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों जिन्हें एसटीसी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया था, के संबंध में तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है।

4. वीआरएस लेने वाले और भूतपूर्व कर्मचारियों, जिन्हें एसटीसी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया था, सहित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि किसी भूतपूर्व कर्मचारी/जीवनसाथी को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए अस्पताल प्राधिकारियों के नाम तत्काल प्रभाव से कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

5. उन भूतपूर्व कर्मचारियों/जीवनसाथी के बारे में जो इस परिपत्र के जारी होने से पहले इलाज के लिए कहीं दाखिल हुए हैं और अभी भी दाखिल हैं, उन्हें एसटीसी द्वारा अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए आगे कोई विस्तार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। एसटीसी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के समाप्त होने के बाद अस्पताल में भर्ती होकर कराए गए इलाज का व्यय भूतपूर्व कर्मचारियों/जीवनसाथी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

6. आगे, तत्काल प्रभाव से किसी भूतपूर्व कर्मचारी/जीवनसाथी का सरकारी अस्पतालों सहित गैर पैनल के अस्पतालों के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व भूतपूर्व कर्मचारी/जीवनसाथी के दावे पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

7. आगे, तत्काल प्रभाव से भूतपूर्व कर्मचारी/जीवनसाथी के वार्षिक ओपीडी प्रतिपूर्ति दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इस योजना की समीक्षा अप्रैल, 2019 माह में की जाएगी।

9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(टी.केरकेट्टा)
महाप्रबंधक(कार्मिक)

<u>वितरण:</u>

- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय

ई-मेल

- संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त) (लेखा एवं स्थापना)
- चिकित्सा अनुभाग
- सूचना पट्ट
- एसटीसी वेबसाइट

<u>प्रतिलिपि:</u>

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(कार्मिक) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(वित्त) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(विपणन) के कार्यकारी सचिव
- मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव

प्रतिलिपि:एसटीसी भूतपूर्व कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जीडी-107, पीतमपुरा, दिल्ली-110034